

राजस्थान सरकार
कार्यालय- आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर

क्रमांक: एफ-4()टूलकिट/तक.शिक्षा/सीटीएडी/2020/

दिनांक:

विज्ञप्ति

**अनुसूचित क्षेत्र के जिले उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाडा, प्रतापगढ एवं आबूरोड (सिरोही) के
जनजाति प्रवासी मजदूरों हेतु उनके कौशल से संबंधित टूलकिट हेतु राशि रुपये
3000/-दिए जाने की योजना हेतु ऑन लाईन आवेदन पत्र**

विभाग द्वारा जनजाति अकुशल श्रामिकों का क्षमता अभिवर्धन एवं स्वरोजगार उपलब्ध कराना योजना अन्तर्गत कोविड-19 महामारी के दौरान जनजाति उपयोजना क्षेत्र में निवासरत ऐसे भूमिहीन जनजाति के युवक एवं युवतियां जो राज्य से बाहर रोजगार करते थे और लॉक डाउन के कारण वापस प्रदेश में आये हैं, को उनके कौशल से संबंधित टूलकिट हेतु राशि 3000/- प्रति व्यक्ति उपलब्ध कराने के लिये ऑन-लाईन आवेदन आमन्त्रित किये जाते हैं।

1. योजना प्रारम्भ तिथि :- 01 अक्टूबर, 2020
2. आयु सीमा :- 18 वर्ष से 60 वर्ष (01 जनवरी 2020 को)
3. योग्यता :- 1. राजस्थान राज्य का अनुसूचित जनजाति वर्ग का होना अनिवार्य
2. राजस्थान की मूल निवासी होना अनिवार्य
4. आवेदन की अंतिम तिथि :- 25 अक्टूबर, 2020

आवेदक विभाग की वेब-साईट www.tad.rajasthan.gov.in पर दिये गये लिंक पर क्लिक करके ऑन लाईन आवेदन दिनांक 25.10.2020 तक कर सकते हैं।

आयुक्त

प्रकाशन हेतु नहीं

10
अतिरिक्त आयुक्त-प्रथम